

Speed post /त्रिव डाक

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननिचंत्रियक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Violation letter /उल्लंघन पत्र**

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: 4081/MCDR-MiFLOFE/1/2023-AJM-IBM_RO_AJM दिनांक: /01/2025

प्रेषित: खान एजेंट,

धेड़वास लोह अयस्क खान,
मेसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड,
आरजी नंबर: 9697/6711, तिरंगा पहाड़ के पास,
गाँव: पुर, जिला: भीलवाड़ा, पिन: 311001.
(e-mail: dinesh.patil@jindalsaw.com)

विषय: राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में स्थित आपकी धेड़वास लोह अयस्क खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 28/11/2024 and 29/11/2024 by undersign in presence of your good-self, Sri Naveen Kumar Airan, Mine Manager of your mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	<p>Mining operations have not been carried out in accordance to Modification of Review of Mining Plan approved on 07/11/2023 to the extent given below for the year 2023-24:</p> <p>(1) Total of 06 exploratory bore holes with 1045 meters of drilling was carried out against the proposal of 06 exploratory bore holes with 1545 meters of drilling. Resulting shortfall in drilling meters.</p> <p>(2) There was no proposals of dry tailing dumping in existing tailing dump namely TRST-2, however, dumping of dry tailing has been observed in the mentioned dry tailing dump.</p> <p>(3) The width of the benches is not maintained as per proposal of 15 meters in Dhulkhera South and Dhulkhera North block.</p> <p>(4) A total of 9893 plants have been planted against the proposal of 10000 number of plants.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, भीलवाड़ा: इस जानकारी के साथ कि वैस्ट डंपिंग पट्टा क्षेत्र से बाहर किया गया है।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर